© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

बिहार में गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण

डॉ. नन्दन कुमारी झा

सारांश- गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा समकालीन विश्व की अत्यंत गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में से हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों में इन समस्याओं का प्रभाव समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों पर अधिक दिखाई देता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में आर्थिक विकास के बावजूद आज भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है। राज्य की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा उनकी आजीविका मुख्यतः कृषि एवं असंगठित श्रम पर आधारित है। सीमित औद्योगिक विकास, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, निम्न आय, अशिक्षा तथा संसाधनों के असमान वितरण जैसी परिस्थितियों ने बिहार में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। बिहार में गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से विस्तृत विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में गरीबी की अवधारणा, उसके विभिन्न स्वरूपों, गरीबी के प्रमुख कारणों तथा खाद्य सुरक्षा के महत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आर्थिक असमानताओं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, प्रवासन, कुपोषण तथा सामाजिक वंचना जैसी समस्याओं का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। शोध के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अंत्योदय अन्न योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), मध्याह्न भोजन योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा गरीब एवं कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में यह पाया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने गरीब परिवारों को आंशिक राहत प्रदान की है तथा खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक एवं संरचनात्मक भी है। बेरोजगारी, अशिक्षा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, प्राकृतिक आपदाएँ, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानताएँ तथा संसाधनों का असमान वितरण गरीबी को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग आज भी पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या भी गंभीर रूप से विद्यमान है। शोध में यह भी पाया गया कि डिजिटलीकरण, आधार आधारित प्रमाणीकरण तथा वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं ने खाद्य वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में सहायता की है। इसके बावजूद तकनीकी समस्याएँ, लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियाँ, खाद्यान्न वितरण में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। अंततः शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बिहार में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या के समाधान के लिए केवल खाद्यान्न वितरण पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, कृषि सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण तथा प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन आवश्यक है। यदि सरकार, प्रशासन एवं समाज मिलकर दीर्घकालिक एवं प्रभावी नीतियों को लागू करें, तो बिहार में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है तथा राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान की जा सकती है।

मुख्य शब्द: गरीबी, खाद्य सुरक्षा, बिहार, सामाजिक-आर्थिक विकास, कुपोषण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण विकास, बेरोजगारी

I. INTRODUCTION

भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जहाँ आर्थिक प्रगति के बावजूद गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याएँ आज भी व्यापक रूप से विद्यमान हैं। देश के विभिन्न राज्यों में बिहार उन राज्यों में शामिल है जहाँ गरीबी की दर अपेक्षाकृत अधिक है। राज्य की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका मुख्यतः कृषि एवं असंगठित श्रम पर आधारित है। सीमित संसाधन, बेरोजगारी, निम्न आय, शिक्षा का अभाव तथा जनसंख्या वृद्धि जैसी

परिस्थितियाँ बिहार में गरीबी को और अधिक गंभीर बनाती हैं।

गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय वंचना की स्थिति है। गरीबी से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पातीं। इसका सीधा प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल भोजन की उपलब्धता नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त, पोषणयुक्त एवं सुरक्षित भोजन नियमित रूप से प्राप्त हो।

बिहार में खाद्य सुरक्षा की समस्या विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है। कई परिवार आज भी दो समय का पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं। बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की समस्या भी गंभीर है। इन समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), अंत्योदय अन्न योजना, मनरेगा तथा मध्याह्न भोजन योजना प्रमुख हैं।

हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। डिजिटलीकरण, राशन कार्डों का ऑनलाइन प्रबंधन, आधार आधारित प्रमाणीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार ने कुछ सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कृषि संकट तथा सामाजिक असमानताएँ अब भी बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
गरीबी : अवधारणा एवं स्वरूप

गरीबी एक बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक समस्या है। सामान्यतः गरीबी का अर्थ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। किंतु आधुनिक दृष्टिकोण में गरीबी केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास एवं सामाजिक अवसरों का अभाव भी शामिल है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने में असमर्थ होता है। अमर्त्य सेन ने गरीबी को "क्षमताओं की कमी" के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक अवसरों की कमी भी है।

गरीबी एक बहुआयामी सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। सामान्यतः गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में देखा जाता है, किंतु वास्तव में यह भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहने की स्थिति है। समाजशास्त्रियों एवं अर्थशास्त्रियों ने गरीबी को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है। प्रमुख रूप से गरीबी को निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, ग्रामीण गरीबी तथा शहरी गरीबी के रूप में समझा जाता है।
(क) निरपेक्ष गरीबी - निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव इस प्रकार की गरीबी की मुख्य विशेषता है। जब किसी व्यक्ति की आय इतनी कम हो कि वह अपने एवं अपने परिवार के लिए दो समय का पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध न करा सके, तब उसे निरपेक्ष गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है। निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण सामान्यतः गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है। सरकार न्यूनतम उपभोग एवं जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा निर्धारित करती है। जो व्यक्ति या परिवार इस सीमा से नीचे जीवन-यापन करते हैं, उन्हें गरीब माना जाता है। बिहार जैसे राज्य में निरपेक्ष गरीबी की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है। भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, दिहाड़ी श्रमिक तथा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग अक्सर इस स्थिति का सामना करते हैं। ऐसे परिवारों को पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा बच्चों की शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं। इसके परिणामस्वरूप कुपोषण, बीमारी एवं सामाजिक पिछड़ापन बढ़ता है। निरपेक्ष गरीबी का प्रभाव केवल आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक एवं सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। गरीबी से ग्रस्त परिवारों के बच्चे कई बार शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बाल श्रम की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार निरपेक्ष गरीबी समाज में असमानता एवं सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा देती है।
(ख) सापेक्ष गरीबी - सापेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अत्यधिक निम्न होती है। इसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, किंतु वह समाज के सामान्य जीवन स्तर के अनुरूप जीवन-यापन नहीं कर पाता। सापेक्ष गरीबी का संबंध आय एवं संसाधनों के असमान वितरण से होता है। समाज में कुछ वर्ग अत्यधिक

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

संपन्न होते हैं जबकि कुछ वर्ग सीमित संसाधनों के साथ जीवन-यापन करते हैं। ऐसी स्थिति में गरीब एवं अमीर वर्गों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक असमानता बढ़ती जाती है। बिहार में सापेक्ष गरीबी का प्रभाव ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक निम्न आय वाला परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेता है, किंतु वह शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक सुविधाओं एवं सामाजिक अवसरों के मामले में समाज के संपन्न वर्गों से काफी पीछे रह जाता है। इससे सामाजिक असमानता एवं वंचना की भावना उत्पन्न होती है। सापेक्ष गरीबी सामाजिक तनाव एवं असंतोष को भी जन्म देती है। जब समाज का एक वर्ग आर्थिक रूप से तेजी से विकसित होता है और दूसरा वर्ग पिछड़ जाता है, तब सामाजिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए केवल आय वृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि संसाधनों का समान वितरण एवं समावेशी विकास भी आवश्यक है।

(ग) ग्रामीण गरीबी - ग्रामीण गरीबी वह स्थिति है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सीमित आय, बेरोजगारी, कृषि संकट एवं संसाधनों की कमी के कारण गरीबी का सामना करते हैं। भारत की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में ग्रामीण गरीबी एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण गरीबी के प्रमुख कारणों में भूमिहीनता, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, प्राकृतिक आपदाएँ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा रोजगार के सीमित अवसर शामिल हैं। बिहार में बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएँ भी ग्रामीण गरीबी को बढ़ावा देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों की आय अस्थिर होती है। कृषि कार्य मौसमी होने के कारण वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोग दिहाड़ी मजदूरी या अन्य राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बड़ी संख्या में बिहार के श्रमिक रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं। ग्रामीण गरीबी का प्रभाव शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। गरीब परिवार अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते तथा पर्याप्त पोषण के अभाव में बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की समस्या बढ़ती है। कई गाँवों में स्वास्थ्य सेवाओं एवं आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी गरीबी को और अधिक गंभीर बनाता है। सरकार द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबी कम करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु अभी भी व्यापक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।

(घ) शहरी गरीबी - शहरी गरीबी वह स्थिति है जिसमें शहरों में रहने वाले लोग सीमित आय, बेरोजगारी, असंगठित श्रम एवं आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण गरीबी का जीवन जीते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि शहरों में रोजगार एवं सुविधाएँ अधिक होती हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्रों में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करते हैं। शहरी गरीबी का प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में होने वाला पलायन है। बिहार के अनेक लोग बेहतर रोजगार एवं आय की आशा में शहरों की ओर जाते हैं, किंतु पर्याप्त कौशल एवं शिक्षा के अभाव में उन्हें असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर कार्य करना पड़ता है। ऐसे लोग झुग्गी-झोपड़ियों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में रहने के लिए विवश होते हैं। शहरी गरीबों को स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छता, शिक्षा एवं सुरक्षित आवास जैसी सुविधाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पातीं। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की आय अनिश्चित होती है तथा आर्थिक संकट की स्थिति में उनका जीवन और अधिक कठिन हो जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी गरीबी की समस्या स्पष्ट रूप से सामने आई। लॉकडाउन के कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए और उन्हें भोजन एवं आवास जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस परिस्थिति ने यह सिद्ध किया कि शहरी गरीब वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत असुरक्षित है।

शहरी गरीबी को कम करने के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास, सस्ती आवास योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ तथा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर अनियंत्रित पलायन को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा : अर्थ एवं महत्व

खाद्य सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। सामान्यतः खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित, पोषणयुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो, जिससे वह स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके। भोजन मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और इसके अभाव में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास प्रभावित होता है।

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित मानी जाती है जब सभी व्यक्तियों को हर समय शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त हो, जो उनके स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भोजन की गुणवत्ता, पोषण, पहुँच तथा निरंतरता से भी जुड़ी हुई है।

भारत जैसे विकासशील देश में खाद्य सुरक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि देश की बड़ी आबादी आज भी गरीबी, बेरोजगारी एवं कुपोषण जैसी समस्याओं से प्रभावित है। बिहार जैसे राज्य में खाद्य सुरक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं।

खाद्य सुरक्षा के प्रमुख तत्व

खाद्य सुरक्षा को प्रभावी रूप से समझने के लिए इसके प्रमुख तत्वों का अध्ययन आवश्यक है। सामान्यतः खाद्य सुरक्षा के चार मुख्य आधार माने जाते हैं—भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुँच, भोजन का उचित उपयोग तथा खाद्य आपूर्ति की स्थिरता।

1. भोजन की उपलब्धता - भोजन की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ यह है कि देश या क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों, ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। भोजन की उपलब्धता मुख्यतः कृषि उत्पादन, खाद्यान्न भंडारण, आयात-निर्यात तथा वितरण प्रणाली पर निर्भर करती है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के बाद गेहूँ एवं चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे खाद्य उपलब्धता में सुधार आया। बिहार में भी कृषि उत्पादन राज्य की खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। हालाँकि बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन एवं कृषि तकनीक की कमी जैसी समस्याएँ कई बार खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करती हैं।

यदि किसी क्षेत्र में पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं होगा, तो भूख एवं कुपोषण की समस्या बढ़ेगी। इसलिए सरकार द्वारा खाद्यान्न भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं कृषि विकास योजनाओं के माध्यम से भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

2. भोजन तक पहुँच - केवल भोजन की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति उस भोजन तक आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पहुँच बना सके। भोजन तक पहुँच का अर्थ है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त आय एवं संसाधन हों, जिससे वह आवश्यक भोजन प्राप्त कर सके।

गरीबी, बेरोजगारी एवं निम्न आय के कारण कई लोग भोजन उपलब्ध होने के बावजूद उसे खरीदने में असमर्थ रहते हैं। बिहार जैसे राज्य में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनकी आय सीमित है। ऐसे परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) तथा अन्य सरकारी योजनाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

भोजन तक पहुँच में सामाजिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार सामाजिक असमानता, जातीय भेदभाव एवं लैंगिक असमानता के कारण समाज के कमजोर वर्ग भोजन एवं पोषण से वंचित रह जाते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक अवसरों के साथ-साथ सामाजिक न्याय भी आवश्यक है।

3. भोजन का उचित उपयोग - खाद्य सुरक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व भोजन का उचित उपयोग है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को केवल भोजन प्राप्त ही न हो, बल्कि वह भोजन पोषणयुक्त, सुरक्षित एवं स्वास्थ्य के अनुकूल भी हो। उचित पोषण के बिना भोजन का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन के उचित उपयोग में स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छता एवं पोषण संबंधी जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिल भी जाए, किंतु वह पोषणयुक्त न हो या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण शरीर उसे सही ढंग से ग्रहण न कर पाए, तो कुपोषण की समस्या बनी रहती है।

बिहार में बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की समस्या गंभीर रूप से देखी जाती है। कई परिवारों को पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिल जाता है, किंतु पोषणयुक्त आहार की कमी बनी रहती है। इसी कारण सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेवाएँ, मध्याह्न भोजन योजना तथा पोषण अभियान जैसी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। भोजन का उचित उपयोग सुनिश्चित

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

करने के लिए पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है।

4. खाद्य आपूर्ति की स्थिरता - खाद्य सुरक्षा का चौथा प्रमुख तत्व खाद्य आपूर्ति की स्थिरता है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को हर समय भोजन उपलब्ध होता रहे और किसी भी संकट, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक समस्या के कारण खाद्य आपूर्ति बाधित न हो। यदि किसी क्षेत्र में कुछ समय के लिए भोजन उपलब्ध हो और बाद में संकट उत्पन्न हो जाए, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती। इसलिए खाद्यान्न उत्पादन, भंडारण एवं वितरण प्रणाली में स्थिरता आवश्यक है। बिहार में बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएँ खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दौरान भी खाद्य वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ा। ऐसी परिस्थितियों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं ने लोगों को राहत प्रदान की। खाद्य आपूर्ति की स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा खाद्यान्न भंडारण, आपदा प्रबंधन, कृषि बीमा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर बल दिया जाता है।

खाद्य सुरक्षा का महत्व

खाद्य सुरक्षा किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति एवं मानव विकास का आधार भी है।

1. भूख एवं कुपोषण में कमी - खाद्य सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भूख एवं कुपोषण को कम करना है। पर्याप्त एवं पोषणयुक्त भोजन मिलने से बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। कुपोषण में कमी आने से मृत्यु दर कम होती है तथा जीवन स्तर में सुधार होता है। बिहार में कुपोषण की समस्या विशेष रूप से ग्रामीण एवं गरीब परिवारों में अधिक दिखाई देती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना एवं पोषण अभियान जैसी योजनाएँ इस समस्या को कम करने में सहायक हैं।

2. स्वस्थ समाज का निर्माण - स्वस्थ समाज का निर्माण उचित भोजन एवं पोषण पर निर्भर करता है। यदि लोगों को पर्याप्त एवं संतुलित भोजन प्राप्त होगा, तो वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ नागरिक किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूँजी होते हैं। अपर्याप्त भोजन के कारण व्यक्ति कमजोर एवं रोगग्रस्त हो जाता है, जिससे समाज की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसलिए खाद्य सुरक्षा समाज के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

3. श्रम क्षमता में वृद्धि - पर्याप्त एवं पोषणयुक्त भोजन व्यक्ति की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता को बढ़ाता है। स्वस्थ श्रमिक अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। यदि श्रमिक वर्ग कुपोषण एवं भूख से प्रभावित होगा, तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बड़ी आबादी श्रम आधारित कार्यों पर निर्भर है, वहाँ खाद्य सुरक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

4. सामाजिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास - खाद्य सुरक्षा सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, तब समाज में असंतोष एवं अपराध की संभावना कम होती है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आर्थिक विकास का भी आधार है। स्वस्थ एवं सक्षम मानव संसाधन उत्पादन एवं विकास प्रक्रिया में अधिक योगदान दे सकते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा को सामाजिक एवं आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है।

5. मानव संसाधन विकास में सहायता - मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण मानव विकास के प्रमुख आधार हैं। यदि बच्चों एवं युवाओं को पर्याप्त भोजन एवं पोषण मिलेगा, तो उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास बेहतर होगा। खाद्य सुरक्षा मानव पूँजी निर्माण में सहायता करती है। इससे शिक्षा का स्तर सुधरता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा समाज की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बिहार में गरीबी की स्थिति

बिहार लंबे समय से भारत के सबसे गरीब राज्यों में शामिल रहा है। राज्य की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कृषि पर निर्भर है। सीमित औद्योगीकरण, बेरोजगारी तथा संसाधनों की कमी के कारण आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। राज्य में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अधिक गंभीर है। कई परिवारों की आय इतनी कम है कि वे भोजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते।

बिहार में गरीबी के प्रमुख कारण

बिहार भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ गरीबी की समस्या लंबे समय से सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधा बनी हुई है। राज्य की बड़ी आबादी आज भी सीमित

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

संसाधनों, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा आर्थिक असमानताओं से प्रभावित है। गरीबी केवल आय की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक कारण कार्य करते हैं। बिहार में गरीबी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(क) बेरोजगारी -बिहार में गरीबी का सबसे प्रमुख कारण बेरोजगारी है। राज्य में जनसंख्या की तुलना में रोजगार के अवसर अत्यंत सीमित हैं। बड़ी संख्या में शिक्षित एवं अशिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित होने तथा निजी क्षेत्र के पर्याप्त विकास न होने के कारण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य मुख्य रोजगार का साधन है, किंतु यह कार्य वर्ष भर उपलब्ध नहीं रहता। कृषि आधारित रोजगार मौसमी होने के कारण लोगों को वर्ष के कई महीनों में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोग दिहाड़ी मजदूरी या अन्य छोटे-मोटे कार्यों पर निर्भर हो जाते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बिहार से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पलायन करते हैं। प्रवासी मजदूरों को अक्सर कम मजदूरी एवं असुरक्षित कार्य परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह समस्या विशेष रूप से सामने आई, जब लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार होकर वापस बिहार लौटे। बेरोजगारी के कारण लोगों की आय कम होती है, जिससे वे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इस प्रकार बेरोजगारी सीधे तौर पर गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा देती है।

(ख) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता - बिहार की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, किंतु कृषि क्षेत्र अभी भी कई समस्याओं से प्रभावित है। राज्य में खेती का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर है तथा आधुनिक कृषि तकनीकों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता। छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या अधिक होने के कारण कृषि से होने वाली आय सीमित रहती है। कई किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं होती, जिससे वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। सिंचाई सुविधाओं की कमी, उन्नत बीजों एवं कृषि उपकरणों का अभाव तथा प्राकृतिक आपदाएँ भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं। बिहार में बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएँ किसानों के लिए बड़ी चुनौती हैं। हर वर्ष कई जिलों में बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में सूखे की समस्या भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण राज्य की बड़ी आबादी आर्थिक रूप से अस्थिर बनी रहती है। कृषि से पर्याप्त आय न मिलने के कारण लोग गरीबी एवं कर्ज के चक्र में फँस जाते हैं। इसलिए कृषि के आधुनिकीकरण एवं वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का विकास आवश्यक है।

(ग) अशिक्षा एवं कौशल की कमी - अशिक्षा एवं तकनीकी कौशल की कमी भी बिहार में गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का आधार होती है, किंतु बिहार में लंबे समय तक शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत निम्न रहा है। ग्रामीण एवं गरीब परिवारों के बच्चे कई बार आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। कई बच्चों को कम उम्र में ही मजदूरी या घरेलू कार्यों में लगना पड़ता है। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा कई क्षेत्रों में अभी भी प्रभावित होती है। तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के अभाव में युवाओं को आधुनिक रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल सामान्य शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि कौशल विकास भी आवश्यक है। कौशल की कमी के कारण अधिकांश युवा असंगठित क्षेत्र में कम मजदूरी वाले कार्य करने के लिए विवश होते हैं। अशिक्षा के कारण लोगों में जागरूकता की भी कमी होती है। वे सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं रोजगार अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इस प्रकार शिक्षा एवं कौशल की कमी गरीबी को पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनाए रखती है।

(घ) जनसंख्या वृद्धि - तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी बिहार में गरीबी का एक प्रमुख कारण है। बिहार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि, जल, रोजगार एवं अन्य संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और संसाधनों की वृद्धि उसी अनुपात में नहीं होती, तब बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा एवं आर्थिक संकट की समस्या बढ़ने लगती है। बड़े परिवारों में आय सीमित होने के कारण भोजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कृषि जोतों का लगातार विभाजन भी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। इससे कृषि भूमि का आकार छोटा होता जाता है और किसानों की आय कम हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव सरकारी योजनाओं एवं संसाधनों पर भी पड़ता है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने में कई बार अपर्याप्त साबित

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

होती हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण संबंधी जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

(ङ) औद्योगिक विकास का अभाव - बिहार में औद्योगिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। राज्य में बड़े उद्योगों एवं विनिर्माण इकाइयों की संख्या सीमित है, जिसके कारण रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते। औद्योगिक विकास के अभाव में राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं असंगठित क्षेत्र पर निर्भर बनी हुई है। यदि राज्य में बड़े उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का विस्तार हो, तो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। बुनियादी ढाँचे की कमी, निवेश का अभाव, बिजली एवं परिवहन संबंधी समस्याएँ औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त कुशल श्रमिकों एवं तकनीकी प्रशिक्षण की कमी भी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करती है। औद्योगिक विकास के अभाव का सबसे अधिक प्रभाव युवाओं पर पड़ता है। उन्हें रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संरचना दोनों प्रभावित होती हैं। इसलिए बिहार में गरीबी कम करने के लिए औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है।

(च) सामाजिक असमानता - सामाजिक असमानता भी बिहार में गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। समाज में जाति, वर्ग एवं लिंग के आधार पर मौजूद असमानताएँ आर्थिक अवसरों को प्रभावित करती हैं। कई सामाजिक समूह ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, भूमि, रोजगार एवं संसाधनों से वंचित रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूर एवं पिछड़े वर्गों के लोग आर्थिक रूप से अधिक कमजोर स्थिति में पाए जाते हैं। उन्हें पर्याप्त रोजगार एवं सामाजिक अवसर नहीं मिल पाते। महिलाओं की स्थिति भी कई क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कमजोर है। शिक्षा एवं रोजगार में लैंगिक असमानता के कारण महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं। सामाजिक असमानता के कारण गरीब वर्गों को सरकारी योजनाओं एवं संसाधनों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। कई बार सामाजिक भेदभाव एवं जागरूकता की कमी भी उनके विकास में बाधा बनती है। इस प्रकार सामाजिक असमानता केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार से भी जुड़ी हुई है। गरीबी उन्मूलन के लिए सामाजिक समानता एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।

बिहार में खाद्य सुरक्षा की स्थिति

बिहार में खाद्य सुरक्षा की स्थिति एक जटिल एवं बहुआयामी समस्या के रूप में दिखाई देती है। राज्य कृषि प्रधान होने के बावजूद आज भी बड़ी संख्या में लोग पर्याप्त एवं पोषणयुक्त भोजन से वंचित हैं। पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन, सरकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार के कारण खाद्य उपलब्धता में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, किंतु गरीबी, बेरोजगारी एवं सामाजिक असमानताओं के कारण खाद्य सुरक्षा की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है।

बिहार की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका मुख्यतः कृषि एवं दिहाड़ी मजदूरी पर आधारित है। सीमित आय एवं अस्थिर रोजगार के कारण अनेक परिवारों को नियमित रूप से पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। विशेष रूप से भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आर्थिक संकट के कारण खाद्य असुरक्षा का अधिक सामना करते हैं।

राज्य में बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की समस्या भी अत्यंत गंभीर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) की रिपोर्टों के अनुसार बिहार में अल्पपोषण, कम वजन तथा अवरुद्ध शारीरिक विकास (Stunting) की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक पाई गई है। कई बच्चे पर्याप्त पोषणयुक्त भोजन के अभाव में शारीरिक एवं मानसिक विकास की समस्याओं से प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में भी पोषण की कमी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा की समस्या अधिक गंभीर दिखाई देती है क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर सीमित हैं तथा लोग कृषि पर अत्यधिक निर्भर हैं। प्राकृतिक आपदाएँ, विशेष रूप से बाढ़ एवं सूखा, खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करती हैं और गरीब परिवारों की स्थिति को और अधिक कठिन बना देती हैं।

हालाँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), अंत्योदय अन्न योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों को राहत प्रदान की है, फिर भी खाद्य सुरक्षा की स्थिति अभी पूरी तरह संतोषजनक नहीं कही जा सकती। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता, भ्रष्टाचार,

तकनीकी समस्याएँ तथा लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियाँ भी इस समस्या को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार बिहार में खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार के प्रयास जारी हैं, किंतु सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों के कारण अभी भी व्यापक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।

खाद्य असुरक्षा के कारण

बिहार में खाद्य असुरक्षा के पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारण कार्य करते हैं। ये कारण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और सामूहिक रूप से गरीब एवं कमजोर वर्गों की खाद्य उपलब्धता को प्रभावित करते हैं।

1. गरीबी एवं निम्न आय - गरीबी खाद्य असुरक्षा का सबसे प्रमुख कारण है। जब किसी परिवार की आय सीमित होती है, तब वह पर्याप्त एवं पोषणयुक्त भोजन खरीदने में असमर्थ रहता है। बिहार में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। दिहाड़ी मजदूर, भूमिहीन किसान तथा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक अक्सर आर्थिक संकट का सामना करते हैं। निम्न आय के कारण परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और उन्हें भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों में समझौता करना पड़ता है। कई बार गरीब परिवार केवल पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, किंतु उन्हें संतुलित एवं पोषणयुक्त आहार प्राप्त नहीं हो पाता। इसका सीधा प्रभाव बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। गरीबी के कारण लोग स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी अन्य आवश्यकताओं पर भी पर्याप्त खर्च नहीं कर पाते, जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है। इस प्रकार गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा एक-दूसरे को निरंतर बढ़ावा देती हैं।

2. बेरोजगारी - बेरोजगारी भी खाद्य असुरक्षा का एक प्रमुख कारण है। बिहार में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण बड़ी संख्या में लोग नियमित आय से वंचित रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य मुख्य रोजगार का साधन है, किंतु यह मौसमी होता है। वर्ष के कई महीनों में लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। शहरी क्षेत्रों में भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय स्थिर नहीं होती। आर्थिक संकट या महामारी जैसी परिस्थितियों में सबसे अधिक प्रभाव गरीब मजदूरों पर पड़ता है। कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गईं, जिससे खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। बेरोजगारी के कारण परिवारों की क्रय शक्ति कम हो जाती है और वे पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

3. कृषि संकट - बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, किंतु कृषि क्षेत्र कई समस्याओं से प्रभावित है। अधिकांश किसान छोटे एवं सीमांत हैं, जिनकी आय सीमित होती है। पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उन्नत तकनीकों की कमी तथा प्राकृतिक आपदाएँ कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं। राज्य में हर वर्ष बाढ़ एवं सूखे जैसी समस्याएँ फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं। इससे किसानों की आय कम हो जाती है और खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होता है। कई बार किसानों को कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है। कृषि संकट का प्रभाव केवल किसानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे ग्रामीण समाज को प्रभावित करता है। जब कृषि उत्पादन कम होता है, तब खाद्यान्न की उपलब्धता एवं लोगों की क्रय शक्ति दोनों प्रभावित होती हैं।

4. प्राकृतिक आपदाएँ - बिहार प्राकृतिक आपदाओं से अत्यधिक प्रभावित राज्य है। विशेष रूप से बाढ़ एवं सूखा राज्य की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में हर वर्ष बाढ़ आती है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं, घर एवं पशुधन का नुकसान होता है तथा लाखों लोग प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में सूखे की समस्या भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण गरीब परिवारों की आय समाप्त हो जाती है और उन्हें भोजन की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। आपदाओं के दौरान खाद्यान्न वितरण व्यवस्था भी प्रभावित होती है। कई बार राहत सामग्री समय पर नहीं पहुँच पाती, जिससे खाद्य असुरक्षा और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आपदा प्रबंधन एवं खाद्य भंडारण की प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है।

5. खाद्यान्न वितरण में अनियमितता - खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु कई बार खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायतें सामने आती हैं। कुछ क्षेत्रों में राशन समय पर नहीं मिलता, जबकि कई लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जाता है। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, फर्जी राशन कार्ड तथा प्रशासनिक लापरवाही जैसी समस्याएँ वितरण व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। कई गरीब परिवार पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। हालाँकि सरकार द्वारा डिजिटलीकरण, ई-पीओएस मशीनों एवं आधार आधारित प्रमाणीकरण जैसे सुधार किए गए हैं, फिर भी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की आवश्यकता बनी हुई है।

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

6. पोषण संबंधी जागरूकता की कमी - खाद्य असुरक्षा केवल भोजन की कमी से संबंधित नहीं है, बल्कि पोषण संबंधी जागरूकता की कमी भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कई परिवारों को संतुलित एवं पोषणयुक्त आहार के महत्व की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। गरीब परिवार अक्सर सस्ते एवं सीमित खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जिससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। बच्चों एवं महिलाओं में आयरन, प्रोटीन एवं विटामिन की कमी सामान्य रूप से देखी जाती है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की कमी भी कुपोषण को बढ़ावा देती है। यदि भोजन पौष्टिक हो, किंतु स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हो, तब भी व्यक्ति कुपोषण से प्रभावित हो सकता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार भी आवश्यक है।

बिहार में खाद्य सुरक्षा हेतु सरकारी योजनाएँ

बिहार में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या को कम करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं कमजोर वर्गों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना, पोषण स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य की बड़ी आबादी आज भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निर्भर है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए ये योजनाएँ जीवन-निर्वाह का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी हैं। सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ केवल खाद्यान्न वितरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से रोजगार सृजन, पोषण सुधार, सामाजिक सुरक्षा एवं मानव विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है। बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इन योजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब एवं कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। बिहार में बड़ी संख्या में परिवार इस योजना पर निर्भर हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को गेहूँ, चावल, चीनी एवं मिट्टी तेल जैसी आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाती हैं। पीडीएस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को न्यूनतम खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद इस योजना का दायरा और अधिक बढ़ गया है। बिहार में लाखों लाभार्थियों को राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने पीडीएस को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, ई-पीओएस मशीनों का उपयोग तथा ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली जैसी तकनीकी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं। इन सुधारों से फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने तथा खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिली है। हालाँकि पीडीएस व्यवस्था में अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। कई क्षेत्रों में राशन वितरण में अनियमितता, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी तथा तकनीकी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। कुछ लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में राशन नहीं मिल पाता या उन्हें समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होता। इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में पीडीएस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब एवं कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को कानूनी रूप से खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस योजना के तहत प्राथमिकता श्रेणी एवं अंत्योदय परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित मात्रा में रियायती दरों पर गेहूँ एवं चावल उपलब्ध कराया जाता है। बिहार में बड़ी संख्या में परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केवल खाद्यान्न वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं एवं बच्चों के पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्चों के लिए पोषण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आंगनबाड़ी सेवाएँ एवं मध्याह्न भोजन योजना भी इस अधिनियम से जुड़ी हुई हैं। इस अधिनियम ने गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है। हालांकि लाभार्थियों की पहचान, वितरण व्यवस्था एवं प्रशासनिक पारदर्शिता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

अंत्योदय अन्न योजना

अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब एवं कमजोर परिवारों को अत्यंत रियायती दरों पर खाद्यान्न

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों को प्रति माह निर्धारित मात्रा में गेहूँ एवं चावल बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। बिहार में यह योजना विशेष रूप से भूमिहीन मजदूरों, वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, दिव्यांगों एवं अत्यंत गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई है। अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। यह योजना खाद्य असुरक्षा से प्रभावित परिवारों को न्यूनतम खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। हालाँकि कई बार पात्र लाभार्थियों की सही पहचान न होने के कारण कुछ जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त वितरण व्यवस्था में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ भी योजना की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामीण गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराना तथा उनकी आय में वृद्धि करना है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, जल संरक्षण एवं अन्य विकास कार्यों में मजदूरों को रोजगार दिया जाता है। बिहार में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस योजना पर निर्भर हैं। यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका खाद्य सुरक्षा से भी सीधा संबंध है। जब लोगों को रोजगार एवं आय प्राप्त होती है, तब वे अपने परिवार के लिए भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने में सक्षम होते हैं। मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं पलायन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। हालाँकि योजना के क्रियान्वयन में मजदूरी भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक समस्याएँ कई बार सामने आती हैं। इसके बावजूद ग्रामीण गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा कम करने में मनरेगा का योगदान महत्वपूर्ण है।

मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण कम करना, विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाना तथा शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को प्रतिदिन पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बड़ी संख्या में बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्याह्न भोजन योजना का बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कई गरीब परिवारों के बच्चों को विद्यालय के माध्यम से नियमित एवं पोषणयुक्त भोजन प्राप्त होता है। इससे बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति एवं पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ी है। हालाँकि योजना के संचालन में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ कई बार सामने आती हैं। फिर भी बच्चों के पोषण एवं शिक्षा को बढ़ावा देने में इस योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई एक महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा योजना थी। लॉकडाउन एवं आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में गरीब परिवारों की आय प्रभावित हुई थी। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा अतिरिक्त मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को निर्धारित राशन के अतिरिक्त मुफ्त गेहूँ एवं चावल उपलब्ध कराया गया। बिहार में करोड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने महामारी के दौरान गरीब एवं प्रवासी मजदूर परिवारों को खाद्य संकट से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब रोजगार एवं आय के स्रोत बंद हो गए थे, तब मुफ्त राशन वितरण गरीबों के लिए राहत का प्रमुख साधन बना। इस योजना ने यह सिद्ध किया कि संकट की परिस्थितियों में प्रभावी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था कितनी आवश्यक है। हालांकि लाभार्थियों की पहचान, राशन वितरण एवं तकनीकी समस्याओं जैसी चुनौतियाँ कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलीं, फिर भी यह योजना गरीब वर्ग के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा केवल आर्थिक समस्याएँ नहीं हैं, बल्कि ये समाज के समग्र विकास को प्रभावित करने वाली गंभीर सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं। इनका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, रोजगार, जीवन स्तर तथा आर्थिक उत्पादकता पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है, वहाँ

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा के प्रभाव अधिक व्यापक रूप से दिखाई देते हैं। जब किसी व्यक्ति या परिवार को पर्याप्त एवं पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध नहीं होता, तब उसका प्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानसिक विकास, सामाजिक अवसरों एवं आर्थिक प्रगति पर भी पड़ता है। गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा समाज में असमानता, बेरोजगारी, अपराध, पलायन तथा सामाजिक तनाव को भी बढ़ावा देती हैं।

- स्वास्थ्य पर प्रभाव - गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा का सबसे अधिक प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। पर्याप्त एवं पोषणयुक्त भोजन के अभाव में व्यक्ति कुपोषण, कमजोरी तथा विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाता है। विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धों पर इसका प्रभाव अधिक गंभीर होता है। बिहार में बड़ी संख्या में बच्चे अल्पपोषण एवं कुपोषण से प्रभावित पाए जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) की रिपोर्टों के अनुसार राज्य में कम वजन वाले बच्चों तथा अवरुद्ध शारीरिक विकास (Stunting) की दर अपेक्षाकृत अधिक है। पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण की कमी के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर बढ़ने की संभावना रहती है। आयरन, प्रोटीन एवं विटामिन की कमी से महिलाओं में एनीमिया जैसी समस्याएँ व्यापक रूप से देखी जाती हैं। गरीबी के कारण लोग उचित स्वास्थ्य सेवाएँ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कई परिवार समय पर इलाज नहीं करा पाते, जिससे सामान्य बीमारियाँ भी गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का अभाव भी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाता है। इस प्रकार गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा समाज के स्वास्थ्य स्तर को कमजोर करती हैं और मानव विकास को प्रभावित करती हैं।
- शिक्षा पर प्रभाव - गरीबी का शिक्षा पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे कई बार शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि परिवार की आय बढ़ाने के लिए उन्हें मजदूरी या अन्य कार्यों में लगना पड़ता है। ग्रामीण एवं गरीब परिवारों में यह समस्या अधिक दिखाई देती है। कई बच्चे विद्यालय छोड़कर खेतों, दुकानों, कारखानों या घरेलू कार्यों में लग जाते हैं। बाल श्रम की समस्या गरीबी से गहराई से जुड़ी हुई है। अपर्याप्त भोजन एवं कुपोषण का भी बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। कुपोषित बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। कई बार भूख के कारण बच्चे विद्यालय में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। गरीबी के कारण परिवार बच्चों की पढ़ाई, पुस्तकें, वर्दी एवं अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं पर पर्याप्त खर्च नहीं कर पाते। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा कई क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से प्रभावित होती है। हालाँकि मध्याह्न भोजन योजना एवं छात्रवृत्ति योजनाओं ने गरीब बच्चों को विद्यालय से जोड़ने में सहायता की है, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। शिक्षा की कमी आगे चलकर बेरोजगारी एवं गरीबी को और अधिक बढ़ावा देती है।
- सामाजिक असमानता -गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा समाज में सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अक्सर सामाजिक एवं राजनीतिक अवसरों से वंचित रह जाते हैं। समाज में अमीर एवं गरीब के बीच बढ़ती दूरी सामाजिक संतुलन को प्रभावित करती है। बिहार में जातीय एवं सामाजिक असमानताएँ लंबे समय से मौजूद रही हैं। भूमिहीन मजदूर, दलित, पिछड़े वर्ग एवं अन्य कमजोर समुदाय आर्थिक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। गरीबी के कारण व्यक्ति समाज में सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाता। कई गरीब परिवार सामाजिक भेदभाव एवं उपेक्षा का सामना करते हैं। आर्थिक कमजोरी सामाजिक शोषण एवं असुरक्षा को भी बढ़ाती है।
- पलायन -रोजगार एवं आर्थिक अवसरों की कमी के कारण बिहार से बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं। यह बिहार की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार सीमित होने तथा उद्योगों के अभाव के कारण लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं। प्रवासी मजदूर अक्सर निर्माण कार्य, फैक्ट्रियों, होटल एवं अन्य असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। हालाँकि पलायन कई परिवारों के लिए आय का स्रोत भी बनता है, किंतु दीर्घकालिक दृष्टि से यह राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यदि राज्य में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, तो पलायन की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- आर्थिक विकास पर प्रभाव - गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा का राज्य के आर्थिक विकास पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। जब बड़ी आबादी गरीब एवं कुपोषित होती है, तब मानव संसाधन का पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता। कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य के कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित होती है। अशिक्षा एवं कौशल की कमी के कारण लोग आधुनिक रोजगार के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। गरीबी के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम रहती है, जिससे बाजार एवं उद्योगों की वृद्धि भी प्रभावित होती है। जब लोगों के पास पर्याप्त आय नहीं होती, तब उपभोग स्तर कम हो जाता है और आर्थिक गतिविधियों की गति धीमी पड़ जाती है। राज्य सरकार को भी गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा योजनाओं पर भारी व्यय करना पड़ता है। यदि गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या कम हो, तो संसाधनों का उपयोग विकासात्मक कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

कोविड-19 महामारी और खाद्य सुरक्षा

कोविड-19 महामारी आधुनिक समय की सबसे गंभीर वैश्विक आपदाओं में से एक थी, जिसने विश्व के लगभग सभी देशों की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। भारत में भी इस महामारी का व्यापक प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से गरीब एवं कमजोर वर्गों पर इसका प्रभाव अधिक गंभीर था। बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में कोविड-19 महामारी ने गरीबी, बेरोजगारी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। महामारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियाँ अचानक बंद हो गईं। उद्योग, व्यापार, परिवहन एवं निर्माण कार्य ठप पड़ गए। इसका सबसे अधिक प्रभाव दिहाड़ी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा गरीब परिवारों पर पड़ा, जिनकी आजीविका प्रतिदिन की आय पर निर्भर थी। बिहार की बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों में कार्य करते हैं। लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए और उन्हें अपने गृह राज्य वापस लौटना पड़ा। प्रवासी मजदूरों की इस बड़े पैमाने पर वापसी से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक दबाव बढ़ गया। कई परिवारों की आय के स्रोत समाप्त हो गए, जिससे भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना कठिन हो गया। महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आई। गरीब परिवारों के सामने भूख एवं कुपोषण का खतरा बढ़ गया। ऐसे समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार द्वारा राशन दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) लागू की गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति अतिरिक्त गेहूँ एवं चावल मुफ्त वितरित किया गया। बिहार में करोड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया। यह योजना महामारी के दौरान गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए जीवनरक्षक सिद्ध हुई। सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरण, सामुदायिक रसोई तथा राहत शिविरों के माध्यम से लोगों को सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया। कई स्वयंसेवी संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं ने भी जरूरतमंद लोगों तक भोजन एवं राहत सामग्री पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालाँकि महामारी के दौरान खाद्य वितरण व्यवस्था में कई समस्याएँ भी सामने आईं। अनेक गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं थे, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर सके। कई स्थानों पर राशन वितरण में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी की शिकायतें भी सामने आईं। तकनीकी समस्याएँ भी खाद्य वितरण व्यवस्था में बाधा बनीं। आधार आधारित प्रमाणीकरण एवं ई-पीओएस मशीनों में नेटवर्क संबंधी समस्याओं के कारण कई लाभार्थियों को समय पर राशन प्राप्त करने में कठिनाई हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एवं तकनीकी संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती थी। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि खाद्य सुरक्षा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा एवं मानव जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। महामारी के अनुभव ने यह भी दिखाया कि संकट की परिस्थितियों में मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ कितनी आवश्यक हैं।

महामारी के बाद सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया। डिजिटलीकरण, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार जैसे कदम उठाए गए। इसके बावजूद भविष्य में ऐसी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए खाद्य भंडारण, वितरण व्यवस्था एवं रोजगार सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

कोविड-19 महामारी ने बिहार में गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा की वास्तविक स्थिति को उजागर किया तथा यह स्पष्ट किया कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक एवं प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है।

अनुसंधान पद्धति

किसी भी शोध कार्य की विश्वसनीयता एवं वैज्ञानिकता उसके अनुसंधान पद्धति पर निर्भर करती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में बिहार में गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य राज्य में गरीबी, खाद्य असुरक्षा, सरकारी योजनाओं तथा सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) दोनों प्रकृति का है। इसमें बिहार की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं, कारणों एवं प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जिससे शोध को अधिक विश्वसनीय एवं तथ्यपरक बनाया जा सके। प्रस्तुत अनुसंधान में विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, सर्वेक्षणों, शोध-पत्रों एवं क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर बिहार में खाद्य सुरक्षा एवं गरीबी की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारकों के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। अनुसंधान की प्रकृति - प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक (Qualitative) एवं मात्रात्मक (Quantitative) दोनों प्रकार की अनुसंधान पद्धतियों पर आधारित है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा जैसे विषय बहुआयामी होते हैं, इसलिए उनके अध्ययन के लिए केवल सांख्यिकीय आँकड़े पर्याप्त नहीं होते। इन समस्याओं को समझने के लिए सामाजिक अनुभवों, मानवीय परिस्थितियों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन आवश्यक होता है। गुणात्मक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत लाभार्थियों के अनुभवों, सामाजिक परिस्थितियों, सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया गया है। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया कि गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा लोगों के दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है। मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत विभिन्न सरकारी आँकड़ों, सर्वेक्षण रिपोर्टों एवं सांख्यिकीय तथ्यों का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), जनगणना आँकड़े, नीति आयोग की रिपोर्टें तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों के आधार पर गरीबी, कुपोषण एवं खाद्य सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन की सीमाएँ

प्रत्येक अनुसंधान कार्य की कुछ सीमाएँ होती हैं, जो अध्ययन की व्यापकता एवं निष्कर्षों को प्रभावित कर सकती हैं। प्रस्तुत अध्ययन की भी कुछ सीमाएँ हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। यद्यपि विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, सर्वेक्षणों एवं शोध-पत्रों का उपयोग किया गया है, फिर भी द्वितीयक आँकड़ों की अपनी सीमाएँ होती हैं। कुछ आँकड़े समय-समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, जिसके कारण नवीन परिस्थितियों में अंतर संभव है। अध्ययन के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों का विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन संभव नहीं हो सका। सीमित समय एवं संसाधनों के कारण कुछ चयनित क्षेत्रों एवं उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ही निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए विभिन्न जिलों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में भिन्नता संभव है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत बिहार में गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, शोध-पत्रों, सर्वेक्षणों तथा क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर यह समझने का प्रयास किया गया कि राज्य में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है तथा इन समस्याओं के प्रमुख कारण एवं प्रभाव कौन-कौन से हैं। अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं—

1. बिहार में गरीबी अब भी एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या है - अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि आर्थिक विकास एवं सरकारी योजनाओं के बावजूद बिहार में गरीबी आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। राज्य की बड़ी आबादी सीमित आय एवं संसाधनों के साथ जीवन-यापन कर रही है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक गरीबी से अधिक प्रभावित हैं। गरीबी का प्रभाव केवल आय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं जीवन स्तर को भी प्रभावित करता है। कई गरीब परिवार आज भी पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। इससे सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ और अधिक

बढ़ती हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि गरीबी एक पीढ़ीगत समस्या बन चुकी है। अशिक्षा, सीमित रोजगार एवं सामाजिक पिछड़ापन के कारण गरीब परिवारों की आने वाली पीढ़ियाँ भी आर्थिक रूप से कमजोर बनी रहती हैं।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा अधिक दिखाई देती है - अध्ययन के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा की समस्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक गंभीर है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका मुख्यतः कृषि एवं दिहाड़ी मजदूरी पर आधारित है, किंतु कृषि की अस्थिरता एवं सीमित रोजगार के कारण उनकी आय नियमित नहीं रहती। - बाढ़, सूखा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे गरीब परिवारों को भोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त एवं पोषणयुक्त भोजन नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं की कमी भी खाद्य असुरक्षा को बढ़ाती है। बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है।

3. सरकारी योजनाओं ने गरीबों को राहत प्रदान की है- अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने गरीब एवं कमजोर वर्गों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), अंत्योदय अन्न योजना, मनरेगा एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रियायती एवं मुफ्त राशन वितरण से गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने में सहायता मिली है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी योजनाएँ लाखों लोगों के लिए जीवनरक्षक सिद्ध हुईं। मनरेगा जैसी योजनाओं ने ग्रामीण गरीबों को रोजगार एवं आय उपलब्ध कराने में सहायता की है। मध्याह्न भोजन योजना एवं आंगनबाड़ी सेवाओं ने बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया है। हालाँकि अध्ययन में यह भी पाया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे—भ्रष्टाचार, लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियाँ एवं वितरण संबंधी अनियमितताएँ।

4. बेरोजगारी एवं अशिक्षा गरीबी के प्रमुख कारण हैं - अध्ययन में यह पाया गया कि बिहार में गरीबी के प्रमुख कारणों में बेरोजगारी एवं अशिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में रोजगार के अवसर सीमित हैं तथा औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत कम है। इसके कारण बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुख्यतः कृषि पर आधारित है, किंतु कृषि कार्य मौसमी होने के कारण लोगों को वर्ष भर पर्याप्त आय नहीं मिल पाती। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की आय भी अनिश्चित होती है। अशिक्षा एवं तकनीकी कौशल की कमी के कारण लोगों को बेहतर रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। कई गरीब परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते, जिससे गरीबी का चक्र लगातार चलता रहता है।

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है - अध्ययन में यह पाया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) बिहार में खाद्य सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। बड़ी संख्या में गरीब परिवार अपनी दैनिक खाद्य आवश्यकताओं के लिए राशन व्यवस्था पर निर्भर हैं। पीडीएस के माध्यम से गरीब परिवारों को रियायती दरों पर गेहूँ एवं चावल उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें न्यूनतम खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है।

6. डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ी है, किंतु तकनीकी समस्याएँ बनी हुई हैं - अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि बिहार सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य सुरक्षा योजनाओं में डिजिटलीकरण एवं तकनीकी सुधारों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, ई-पीओएस मशीनों का उपयोग तथा ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली ने वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया है। इन तकनीकी सुधारों के माध्यम से फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने तथा खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिली है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने प्रवासी मजदूरों को भी सुविधा प्रदान की है। हालाँकि तकनीकी समस्याएँ अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में त्रुटियाँ तथा तकनीकी खराबियों के कारण कई लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार डिजिटलीकरण ने व्यवस्था को बेहतर बनाया है, किंतु तकनीकी आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

7. महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या अभी भी गंभीर है - अध्ययन के अनुसार बिहार में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या अभी भी गंभीर रूप से मौजूद है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) की रिपोर्टों में बच्चों

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

में कम वजन, अवरुद्ध शारीरिक विकास तथा महिलाओं में एनीमिया की उच्च दर दर्ज की गई है। गरीबी, पोषणयुक्त भोजन की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव एवं जागरूकता की कमी कुपोषण के प्रमुख कारण हैं। ग्रामीण एवं गरीब परिवारों में बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन एवं पोषक तत्व नहीं मिल पाते। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण की कमी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यद्यपि आंगनबाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, फिर भी कुपोषण की समस्या पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी है।

8. प्रवासी मजदूरों की समस्या बिहार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है - अध्ययन में यह पाया गया कि बिहार से बड़े पैमाने पर होने वाला श्रमिक पलायन राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को प्रभावित करता है। रोजगार के सीमित अवसरों एवं औद्योगिक विकास के अभाव के कारण बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों में कार्य करने के लिए जाते हैं। प्रवासी मजदूरों द्वारा भेजी गई आय कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत होती है, किंतु पलायन के कारण परिवारों एवं समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। परिवार के सदस्य लंबे समय तक अलग रहते हैं तथा सामाजिक असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्या स्पष्ट रूप से सामने आई। लाखों मजदूर बेरोजगार होकर बिहार लौटे, जिससे राज्य में आर्थिक दबाव बढ़ गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि बिहार में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार एवं औद्योगिक अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, तो पलायन की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

सुधार हेतु सुझाव

बिहार में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या को कम करने के लिए केवल अल्पकालिक राहत योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालिक एवं समग्र विकास नीतियों की आवश्यकता है। राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रोजगार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए जाने चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए - बिहार में गरीबी का सबसे प्रमुख कारण बेरोजगारी है। इसलिए राज्य में रोजगार के अवसरों का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। सरकार को औद्योगिक विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, डेयरी उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण बेरोजगारी एवं पलायन की समस्या कम होगी। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए आधारभूत संरचना, बिजली, परिवहन एवं तकनीकी सुविधाओं में सुधार आवश्यक है। स्टार्टअप एवं स्वरोजगार योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें।

2. कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाए - बिहार की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, किंतु कृषि क्षेत्र अभी भी पारंपरिक पद्धतियों पर आधारित है। इसलिए कृषि के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएँ एवं वैज्ञानिक खेती की तकनीकों का विस्तार किसानों की उत्पादकता बढ़ा सकता है। किसानों को आधुनिक कृषि प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फसल बीमा योजना एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त जैविक खेती एवं कृषि विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए प्रभावी जल प्रबंधन एवं आपदा नियंत्रण व्यवस्था विकसित करना भी आवश्यक है।

3. शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाए - गरीबी उन्मूलन के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्रामीण एवं गरीब परिवारों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा एवं पोषण योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं एवं शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देकर युवाओं को आधुनिक रोजगार के लिए तैयार किया जाना चाहिए। आईटी, मशीनरी, कृषि तकनीक एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। महिलाओं की शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित एवं आत्मनिर्भर महिलाएँ परिवार एवं समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) खाद्य

© APR 2025 | IRE Journals | Volume 8 Issue 10 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV8I10-1718239

सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रमुख माध्यम है। इसलिए इसकी पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।राशन वितरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए नियमित निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की व्यवस्था की जानी चाहिए। लाभार्थियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। डिजिटलीकरण एवं तकनीकी सुधारों को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एवं तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि ई-पीओएस मशीनों एवं आधार आधारित प्रमाणीकरण में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके।

5. पोषण संबंधी जागरूकता अभियान चलाए जाएँ - खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि पोषणयुक्त भोजन की जानकारी एवं उपयोग भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए। ग्रामीण एवं गरीब परिवारों को संतुलित आहार, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से पोषण शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं बच्चों के लिए पोषण जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6. महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए - महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या बिहार में गंभीर रूप से मौजूद है। इसलिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण एवं पोषण सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, दवाओं एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। महिलाओं में एनीमिया एवं बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। महिलाओं की शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर भी परिवारों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार किया जा सकता है।

7. ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए - ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। हस्तशिल्प, हथकरघा, डेयरी, मत्स्य पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण, प्रशिक्षण एवं विपणन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) एवं सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा लोगों का अन्य राज्यों की ओर पलायन कम होगा।

8. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए - सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वृद्धावस्था पेंशन, जनधन योजना एवं स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का प्रभावी संचालन गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। लाभार्थियों की सही पहचान, समय पर सहायता वितरण एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं। पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देकर योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार यदि सरकार, प्रशासन एवं समाज मिलकर समन्वित प्रयास करें, तो बिहार में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है तथा समावेशी एवं सतत विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

उपसंहार

बिहार में गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा की समस्या राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से गहराई से जुड़ी हुई है। प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गरीबी केवल आय की कमी का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण, सामाजिक समानता एवं जीवन स्तर से संबंधित एक बहुआयामी समस्या है। बिहार जैसे कृषि प्रधान एवं जनसंख्या बहुल राज्य में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। अध्ययन में यह पाया गया कि राज्य की बड़ी आबादी आज भी बेरोजगारी, अशिक्षा, कृषि संकट, प्राकृतिक आपदाओं एवं सीमित आर्थिक अवसरों से प्रभावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा की स्थिति अधिक गंभीर दिखाई देती है, जहाँ लोगों की आजीविका मुख्यतः कृषि एवं दिहाड़ी मजदूरी पर आधारित है। छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने तथा कृषि के मानसून पर

निर्भर रहने के कारण लोगों की आय स्थिर नहीं रह पाती। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या भी बिहार में एक गंभीर सामाजिक चुनौती के रूप में सामने आती है। पर्याप्त एवं पोषणयुक्त भोजन की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव तथा जागरूकता की कमी के कारण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यह स्थिति मानव संसाधन विकास एवं राज्य की आर्थिक प्रगति दोनों को प्रभावित करती है। प्रस्तुत शोध से यह भी स्पष्ट हुआ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), अंत्योदय अन्न योजना, मनरेगा तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने गरीब एवं कमजोर वर्गों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान इन योजनाओं ने लाखों लोगों को खाद्य संकट से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिजिटलीकरण एवं तकनीकी सुधारों ने वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता की है, किंतु तकनीकी एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। अध्ययन यह संकेत करता है कि केवल खाद्यान्न वितरण से गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए समग्र एवं बहुआयामी विकास रणनीति अपनाना आवश्यक है। रोजगार के अवसरों का विस्तार, कृषि का आधुनिकीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि राज्य में समावेशी विकास, पारदर्शी प्रशासन एवं जनकल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो बिहार में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा केवल भोजन उपलब्ध कराने का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव गरिमा, सामाजिक न्याय एवं सतत विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक स्वस्थ, शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सक्षम समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त एवं पोषणयुक्त भोजन, सम्मानजनक रोजगार एवं समान अवसर उपलब्ध हों। तभी बिहार का समग्र एवं सतत विकास संभव हो सकेगा।

संदर्भ सूची

[1] सेन, अमर्त्य. गरीबी और विकास संबंधी अध्ययन।
[2] द्रेज, जीन एवं सेन, अमर्त्य. भारत में खाद्य सुरक्षा।
[3] नीति आयोग रिपोर्ट।
[4] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013.
[5] बिहार आर्थिक सर्वेक्षण।
[6] राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) रिपोर्ट।
[7] भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
[8] विश्व बैंक रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी।
[9] Planning Commission Reports.
[10] FAO Food Security Reports.
[11] बिहार सांख्यिकी विभाग रिपोर्ट।
[12] NSSO Reports.
[13] Economic and Political Weekly Articles.
[14] Ministry of Rural Development Reports.
[15] UNDP Human Development Reports.
[16] Census of India Reports.
[17] Kumar, Ashok. Poverty in Bihar.
[18] Sharma, S.K. Food Security in Rural India.
[19] Singh, R.P. Rural Development and Poverty.
[20] Government of Bihar Annual Reports.
[21] RBI Handbook of Statistics.
[22] Ministry of Consumer Affairs Reports.
[23] Various research journals and articles.
[24] NFSA Official Documents.
[25] Public Distribution System Reports.